न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर, जिला जयपुर

ासीन अधिकारी : श्री प्रभू दयाल शर्मा आर0ए0एस0
सं0 139/13
ीय दिनांक :10.06.2018

मानवीर सिंह   बनाम   बच्चनसिंह

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से है कि वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने क्त प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 में कथन किया कि उपरोक्त वाद वादी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 42 के विरूद्व पेश किया है जो बाबत् घोषणा व स्थायी षेधाज्ञा का पेश किया गया है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0 42 तहसीलदार भेरा है उपरोक्त वाद में वादी ने सीलिंग अधिग्रहण के तहत अपने द्वारा दिये गये पशन पर अधिक भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में उक्त वाद पेश किया है। ो कानून द्वारा बाधित है सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गयी भूमि जो रमुक्त न थी उसके बदलें में विकल्प की भूमि लिये जाने के सम्बन्ध में मान्य ायालय को वाद सुननें का अधिकार प्राप्त नहीं है सीलिंग कार्यवाही के दौरान ोई भी गलत आदेश का कियान्वयन या अनुपालना की गयी है तो उसे नियमित ाद के द्वारा प्रश्नगत नहीं बनाया जा सकता वादी ने अपना वाद सीलिंग कार्यवाही दिये गये विकल्प के बाद उसके खाते में छोड़ी गयी 50 बीघा 10 बिस्वा भूमि की जगह 86 बीघा 4 बिस्वा भूमि की घोषणा चाही है जो नियम विरूद्व है वादी यह स्वंय स्वीकार करता है कि उसने आराजी खं0नं0 74 रकबा 10 बीघा भूमि विकल्प में अपने पास रखी थी परन्तु प्रतिवादी सं0 41 के दत्तक पिता ने उक्त भूमि में से 2 बीघा की डिक्री करवा ली जिसके बट्टें नं0 74/2 हो गये। इसी प्रकार अन्य डिक्रीया भी वादी के विरूद्व हुयी है जिससे वादी का रकबा कम हुआ है। वादी ने ऐसा कोई कारण उक्त वाद में नहीं बताया जिसके तहत उसे खातेदारी की घोषणा सीलिंग अधिग्रहण के बाद 50 बीघा 10 बिस्वा की जगह उसे 86 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सके। वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 7 गोविन्दसिंह, प्रतिवादी सं0 16 कानसिंह के विरूद्व वाद पेश कर रखा है जो वादी के गांव में ही रहते थे। प्रतिवादी सं0 7 की मृत्यु दिनांक 03.03.15 को हो चुकी है तथा प्रतिवादी सं0 16 की मृत्यु दिनांक 10.12.13 को हो चुकी है जिनकी कायम

ड अधिकारी
ंभर लेक

मुकामान की कार्यवाही वादी को जानकारी होते हुए भी आज तक नहीं की है इसलिए उक्त वाद प्रतिवादी सं0 7 गोविन्दसिंह, प्रतिवादी सं0 16 कानसिंह अबेट हो चुका है इसलिए उक्त वाद सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी के पिता स्व0 मोतीसिंह ने उक्त भूमि के सम्बन्ध मे एक वाद पहले पेश किया था जो खारिज हो चुका है इसलिए उक्त वाद पुन: पेश करने का वादी को कोई अधिकार नही है। उक्त वाद मे रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी के पिता स्व0 मोतीसिंह से केस नं0 402/75 सीलिंग सरकार बनाम मोतीसिंह मे दिनांक 13.11.75 को गोविन्दपुरा के खसरा नम्बरान मे से 2091 बीघा 4 बिस्वा भूमि मे से खातेदार का 1/4 हिस्सा भूमि 522 बीघा 16 बिस्वा अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे उपरोक्त गोविन्दपुरा मे कुल भूमि खातेदारो की 2389 बीघा 3 बिस्वा भूमि गोविन्दपुरा में दर्ज थी जिसके अनुसार बराबर 4 हिस्सें करने पर प्रत्येक हिस्सेदार को 597 बीघा 5 बिस्वा 15 बिस्वान्सी भूमि आती थी जिसमे से 522 बीघा 16 बिस्वा का अधिग्रहण हो जाने से वादी के पास केवल 54 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही शेष रहती थी जिनमें से कुछ डिक्रीया हो जाने से वादी के हिस्से में केवल 60 बीघा भूमि ही शेष बची है इसलिए वादी के विकल्प में 86 बीघा भूमि छोड़े जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योकि सीलिंग उद्घोषणा के बाद विक्रय की गयी व डिक्री की गयी भूमिया खातेदारों के हिस्सें में से कम करने के बाद ही भारमुक्त भूमि को ही अधिग्रहण योग्य मानकार भूमि अधिग्रहित की गयी है। उक्त विकल्प भी खातेदार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के बाद पेश किया गया है इसलिए जो सीलिंग अधिग्रहण में जो भूमि अधिग्रहित कर ली गयी है उसके सम्बन्ध में केवल सीलिंग प्राधिकारी अधिकारी के समक्ष ही आपति उठायी जा सकती है मान्य न्यायालय में उक्त वाद कानून द्वारा बाधित है इसलिए उक्त वाद सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का वकील वादीगण द्वारा जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र के मद नं0 7 में वर्णित भूमि सीलिंग कार्यवाही में विकल्प मे रखे जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.76 को स्वीकार किया गया जिसके अनुसार मोतीसिंह के कब्जे काश्त एवं खातेदारी मे 86 बीघा 4 बिस्वा भूमि रही जिसकी अलग से जमाबन्दी में इन्द्राज हेतु तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिया गया लेकिन उक्त आदेश की पालना नहीं की गई ओर खाता बदस्तूर इकजाई रहा। इस प्रकार वादी ने वाद के मद नं0 7 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में यह वाद घोषणा प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई का अधिकार क्षेत्र मान्य न्यायालय को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद का सीलिंग प्रोसेडिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है वाद पत्र में वर्णित अभिवचन के आधार पर ही यदि वाद मान्य न्यायालय के श्रवणाधिकार से परे है अतः कानूनन

अधिकारी
लेक

Scanned by CamScanner

लने योग्य नहीं है उस ही स्थिति मे वाद अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 ारिज किया जा सकता है।

उक्त प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के प्रा0पत्र पर वकील पक्षकारान ी बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने बताया कि दावा विधि रूद्ध पेश किया गया है क्योकि सम्पूर्ण दावा सीलिंग कानून की परिधि में पेश या गया है जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार मे नहीं है। वाद मे प्रतिवादी सं0 व 16 की मृत्यु भी हो चुकी है उनकी हद तक का दावा अबेट हो चुका है सलिए दावा खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे पूर्व मे वाद खारिज ोना बताया है इसलिए रेस्ज्यूडिकेता के अन्तर्गत वाद खारिज योग्य है। वकील ार्थी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने बताया कि मु0सं0 402/75 सीलिंग अधिनियम के तहत सरकार बनाम मोतीसिंह के निर्णय की क्रियान्विति के लिए अपील करना ाहिए था अथवा रिव्यू करवाते जो अप्रार्थी वादीगण द्वारा नहीं करवाये जाने से वधि द्वारा वर्जित है। उक्त खातेदारान के सयुंक्त खाते में 2389 बीघा 3 बिस्वा ूमि गोविन्दपुरा में दर्ज थी जिसके अनुसार बराबर 4 हिस्से करने पर प्रत्येक हस्सेदार के 597 बीघा 5 बिस्वा 15 बिस्वान्सी भूमि आती थी जिसमे से 522 बीघा 6 बिस्वा का अधिग्रहण हो जाने से वादी के पास केवल 54 बीघा 10 बिस्वा भूमि ी शेष रहती थी जिनमें से कुछ डिक्रीया हो जाने से वादी के हिस्से में केवल 50 ीघा भूमि ही शेष बची है। वकील प्रार्थी प्रतिवादी ने बताया कि आर0आर0डी0 997 पेज नं0 304, आर0आर0डी0 2002 पेज नं0 99 मे भी सीलिंग एवं धारा 36 के तहत इस प्रकार वाद प्रस्तुत करना विधि द्वारा वर्जित है धारा 88 के तहत वाद लने योग्य नहीं है। वाद केवल धारा 15 व 19 मे ही चल सकता है वाद पत्र के द नं. 2 के अनुसार भूमि अविभाजित व संयुक्त खातेदारी की भूमि है व पेरा नं0 3 ं मोतीसिंह को मुख्तयारआम अधिकृत किया जाना अंकित है तथा वादी ने स्वंय ने रा नं0 4 में सीलिंग निर्णय का हवाला दिया है विभाजन के लिए तहसीलदार की लिखित सहमति व विभाजन प्रस्ताव आवश्यक है वादी ने वाद पत्र के मद नं0 6 में सीलिंग अधिग्रहण करने के आदेशों के अनुपालना में जुदागाना भूमि विकल्प में रखनें का हवाला देते हुए अधिग्रहण करने के सर्वसम्मत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के तथ्य दर्ज किये है तथा वाद कारण मद सं0 14 में भी यह स्पष्ट अंकित है कि प्रतिवादी सं0 41 दिनांक 06.05.76 को प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग के आदेश देने के बावजूद भी विक्रय के बाद शेष बची भूमि अलहदा अलहदा खातेदारी में न खोलने का आधार अंकित किया है ऐसी स्थिति में उक्त वाद सीलिंग प्रकरण से सम्बन्धित होने से मान्य न्यायालय को स्वर्णाधिकार नहीं होना साबित होता है तथा सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 23 के तहत अपील की जानी चाहिए थी इसलिए वाद विधि द्वारा बाधित होने से रिजेक्ट किये जाने योग्य है।

अधिकारी
र लक

वकील अप्रार्थी वादीगण ने अपनी बहस मे कथन किया कि इस स्टेज पर दावा चलने योग्य है या नहीं यह तो तनकीयात कायम की जाकर व शहादत पेश की जाकर निर्णय किया जा सकता है। उक्त वर्णित भूमि सीलिंग कार्यवाही में विकल्प मे रखे जाने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत करने पर प्रा0पत्र दिनांक 06.05.76 को स्वीकार किया गया। जिसके अनुसार मोतीसिंह के कब्जे काश्त एवं खातेदारी मे 86 बीघा 4 बिस्वा भूमि रही जिसका जमाबन्दी मे इन्द्राज हेतु तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिये गये लेकिन पालना नहीं हुयी एवं खाता बदस्तूर जारी रहा तथा समपर्ण का अलग से विवेचन कर लिया गया। उक्त वाद में सीलिंग प्रोसेडिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है पहले जो वाद विड्रो किया गया है वह नये तथ्यो के साथ वाद प्रस्तुत करने की शर्त पर विड्रो किया गया है जो विधि विरूद्व नहीं माना जा सकता है। अतः कानूनन प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 खारिज किये जाने का श्रम करावें।

प्रार्थी प्रतिवादी ने वकील अप्रार्थी की बहस के जवाब में बताया कि वाद से ही साबित है कि सीलिंग के आदेश की पालना में धारा 88 के तहत दावा पेश किया है जो विधि विरूद्व है। 57 बीघा 16 बिस्वा का वाद डिक्री हुआ था जो पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है, सीलिंग के आदेश की पालना न्यायालय उपखण्ड अधिकारी से नहीं करवायी जा सकती, 1976 के निर्णय बाबत् अब वाद पेश किया है जो विधि विरूद्व है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद खारिज करने का श्रम करावें। वाद पत्र के मद नं0 10 में भी वादी ने यह अंकित किया है कि खं0नं0 74 में से 2 बीघा की डिक्री प्रतिवादी सं0 41 के दत्तक पिता ने करवा ली है लेकिन कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है। उक्त वाद में उक्त डिक्री भी निरस्त नहीं की जा सकती।

वकील प्रार्थी प्रतिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांक पेश किये है।

1. आर0आर0डी0 2002 पेज नं0 99
2. आर0आर0डी0 1997 पेज नं0 304

वकील वादी के अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांक पेश किये है

1. सी0सी0सी0 2014(2) पेज नं0 95
2. आर0आर0टी0 2015(2) पेज नं0 1396
3. आर0आर0टी0 2014(2) पेज नं0 1076
4. आर0आर0टी0 2015(2) पेज नं0 1040
5. आर0आर0टी0 2016(1) पेज नं0 508
6. सी0सी0सी0 2014(3) पेज नं0 648

पक्षकारान वकीलों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एंवम् प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 एवं मय जवाब प्रा0पत्र का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया

अधिकारी

Scanned by CamScanner

गया। उक्त वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसको पढ़ने से यह स्पष्ट अंकित होता है कि सीलिंग कार्यवाही के तहत वादी की भूमि अधिग्रहण करने के बाद वादी की खातेदारी की भूमि 50 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज है तथा सम्पूर्ण ख0नं0 संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है सीलिंग अधिग्रहण के बाद विकल्प मे छोडी गयी भूमि विकल्प अनुसार खातेदारी में दर्ज न होने तथा विभाजित ख0नं0 वादी की खातेदारी में दर्ज न होने के सम्बन्ध में वादी को सीलिंग प्राधिकारी के समक्ष ही चारा जोरी कर सीलिंग कार्यवाही के तहत पारित आदेश की अनुपालना करवानी चाहिए थी राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के तहत सीलिंग अधिग्रहण से सम्बन्धित आदेश को सीलिंग ऐक्ट की धारा 23 के तहत अपील ही करनी चाहिए या सीलिंग कानून के तहत सीलिंग प्राधिकारी के समक्ष रिव्यू की कार्यवाही करनी चाहिए। सिलिंग अधिनियम 1973 की धारा 36 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई सिविल या राजस्व न्यायालय किसी ऐसे प्रश्न या मामले पर निर्णय नहीं लेगी या विचार नहीं करेगी जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को विनिश्चय करने का या विचार करने का अधिकार हों एवं किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को भूमि के अन्तरण के लिए विनिर्दिष्ट पालना के दावे को ग्रहण करने या कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिससे राज्य सरकार के इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष भूमि के अधिकार पर असर डालता हों जैसा कि आर0आर0डी0 2002 पेज नं0 99 व आर0आर0डी0 1997 पेज नं0 304 के निर्णयों के परिपेक्ष में हम इस निष्कर्ष पर पहुचतें है कि उक्त वाद सिविल प्रकिया संहिता के आर्डर 7 रूल 11 डी0 के तहत सिलिंग अधिनियम 1973 की धारा 36 के प्रावधानों के अनुसरण में कानून द्वारा बाधित है इसलिए इस न्यायालय में चलने योग्य न होने से आर्डर 7 रूल 11 डी0 जा0दी0 स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः आर्डर 7 रूल 11 डी जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प कोरसीना मे जाकर टंकण कराया गया एवं सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

दानवीर बनाम बच्चनसिंह वगै0

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 139/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भंवरलाल जैन व हाजरी श्री शिवराजसिंह राठौड़ मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आर्डर 7 रूल 11 डी जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। .... निज .... मुबलिग................................ ...... बाबत्.................................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह....................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................. ....का अदा करे।

बतसदीक मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..........

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner